तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
09/6/025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत किया जाने से उभयपक्ष वकुलाय की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 2786 रकबा 0.14 हैक्टर के साथ अन्य खसरा नंबर 2783, 2784, 2787, 887 की भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई व बहन के संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है। प्रार्थी ने खसरा नंबर 2786 के पडौसी खसरा नंबर 2744 के बीच माठ का विवाद होने से सीमाज्ञान का आवेदन तहसील में पेश किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर उपतहसीलदार नाना के आदेश से भू-अभिलेख निरीक्षण चामुण्डेरी नाना व पटवारी हल्का चामुण्डेरी के संयुक्त दल द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही दिनांक 25.04.2025 को मौके पर की गई। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट से पक्षकार सहमत नही होने से प्रार्थी द्वारा उक्त पत्थरगढी का आवेदन न्यायालय में पेश किया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खंडन कर उल्लेखित किया कि ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 2744 रकबा 2.8118 हैक्टर की भूमि गैर मुमकिन आबादी की भूमि है। जिस भूमि पर अप्रार्थीगण के साथ अन्य लोगों के मकानात बने हुये है। सीमाज्ञान के आवेदन पर अप्रार्थीगण के जानकारी के बाले बाले नायब तहसीलदार नाना के आदेश से भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा मौका फर्द बनाई गई। प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर आबादी भूमि में बने पक्के मकानों के हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया कि प्रार्थी के सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 2786 से लगती आबादी की भूमि 2744 में प्रार्थी की भूमि की सीमा के अडोअड अप्रार्थीगण के नाम आवासीय पट्टे जारी है। इसके विपरीत प्रस्तुत मौका फर्द के अनुसार मौके पर स्थित आवासीय मकान प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा से 2.5 मीटर की दूरी पर पश्चिम	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी
	दिशा पर स्थित है। इस प्रकार सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते खसरा नंबर 2744 आबादी की भूमि पर बने पक्के मकान खसरा नंबर 2786 से सटते हुये नहीं है। जिससे अप्रार्थी की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि चामुण्डेरी राणावतान के खसरा नंबर 2786 रकबा 0.14 हैक्टर किस्म जाव दोयम व पडौस स्थित खसरा नंबर 2744 की पत्थरगढी कराया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 2786 व पडौस स्थित खसरा नंबर 2744 के मध्य सीमा विवाद के स्थाई समाधान के लिये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित प्रावधानों के तहत पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करे। तहसीलदार बाली को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

कमांकः कोर्ट/2025/ दिनांक :

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्रवीणसिंह पुत्र सांकलसिंह जाति राजपूत निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली		नरपतसिंह पुत्र बंशीलाल जाति राव निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2025/231

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम चामुण्डेरी पटवारी हलका चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा संख्या 2786 रकबा 0.1400 हैक्टर के सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/–प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

कमांकः कोर्ट/2025/655-658 दिनांक : 10.6.25

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना नाना
3. हल्का पटवारी चामुण्डेरी को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रवीणसिंह पुत्र सांकलसिंह जाति राजपूत निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner